



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.

/2017 निगरानी

R-745-I/17

श्री लक्ष्मन सिंह धाकड़ ए.
द्वारा आज दि २७/०२/१७ को
प्रस्तुत

वक्तव्यकारी ऑफ कोर्ट २७
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
27.02.17

1- कल्ला पुत्र प्रभू धोबी निवासी- ग्राम राजा
का तोर तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना

2- उदयवीर सिंह पुत्र मुल्ला ठाकुर निवासी- ग्राम
बतोखर, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना म.प्र.

3- भगती धोबी पुत्र हटीला निवासी- ग्राम राजा
का तोर तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना
आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
सबलगढ़, जिला मुरैना.

..... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व
संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय
सबलगढ़, जिला मुरैना के प्रकरण क्र 17/16-17/अ-68
में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 के विरुद्ध निगरानी
प्रस्तुत है :-

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्व क्र. 236 रक्वा 1.36 आरे ग्राम ग्राम बतोखर,
तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना म.प्र. में स्थित है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि के
संबंध में शिकायतकर्ता पुजारी बृजमोहन पुत्र रामहेतलाल ब्राह्मण निवासी
ग्राम खेरला नायब तहसील सबलगढ़ द्वारा धारा 248 म.प्र. भू-राजस्व
संहिता के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र
पर से नायब तहसीलदार महोदय सबलगढ़ द्वारा प्र.क्र. 10/15-16/अ-68
में स्वित्तत कोई घंटना व सनवाई का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-745-एक/17

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
८-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २७.३.१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(३)</p>	 <p>प्रशासकीय सदस्य</p>